न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक अपील 183–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक अपर आयुक्त, **जबलपुर संभाग**, जबलपुर प्रकरण कमांक 880/बी–121/13–14.

श्रीमती शान्ति दहायत पत्नी स्व. श्री गणेश दहायत
निवासी माढ़ोताल आई.टी.आई. के पास
तहसील व जिला जबलपुर म.प्र. ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर म.प्र. ——— प्रत्यर्थी

श्री एम. एम. कुरेशी, अधिवक्ता, अपीलांट ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, रिस्पोंडेंट ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18 अगस्त 2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 880/बी–121/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–1–15 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष आवेदन पेश किया कि वे प्रश्नाधीन भूमि पर 1909–10 से माफी खिदमती कोटवारी हैसियत से काबिज थे । वर्ष 1954–55 में उक्त भूमि अपीलार्थिनी के ससुर के नाम पर तथा ससुर की मृत्यु के उपरांत उसके पति का नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया गया । सन् 1991–92 में अवैधानिक तरीके से बिना अपीलांट या उसके परिवार के सदस्यों को नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिए म.प्र. शासन का नाम दर्ज कर दिया है । अतः अपीलार्थिनी का नाम रिकार्ड भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाये । अपर कलेक्टर ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही भेजा । तहसीलदार ने

अपीलार्थिनी को सुनने के उपरांत अपना प्रतिवेदन दिनांक 2–6–14 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रेषित किया । अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 13/8/14 द्वारा आवेदिका का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थिनी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त ने ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1909–10 में अपीलांट के पूर्वजों को तत्कालीन सरकार ने बतौर माफी दी थी जो राजस्व रिकार्ड में माफी खिदमती कोटवारी दर्ज हुई । अपीलांट के पूर्वज वर्ष 1909–10 से माफी खिदमती कोटवारी हैसियत से काबिज थे । वर्ष 1954–55 में उक्त भूमि आवेदिका के ससुर के नाम पर तथा आवेदिका के ससुर की मृत्यु के उपरांत आवेदिका के पति का नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया गया । सन् 1991–92 में अवैधानिक तरीके से बिना अपीलांट या उसके परिवार के सदस्यों को नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिए म.प्र. शासन का नाम दर्ज कर दिया गया है, जो अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में प्रश्नाधीन भूमि शासन के नाम दर्ज होने का उल्लेख किया है, अपीलांट का तर्क है कि पूर्व भूमिस्वामियों के स्थान पर शासन का नाम दर्ज किये जाने की प्रकिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से शून्य है कारण कि नाम काटने के पहले खातेदारों (कब्जाधारों) को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलांट आज भी कोटवार है और उसका कब्जा आज भी प्रश्नाधीन भूमि पर है इसलिए वह शासन की शिकमी काश्तकार बन गई है और इस कारण भूमिस्वामी के अधिकार उसमें निहित हो गये हैं इस संबंध में उनके द्वारा 1985 आर.एन. 228 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों को अंग्रेजी शासन द्वारा " माफी खिदमती " के रूप में प्रदान की गई थी और उस समय जितने लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा " माफी खिदमती " के रूप में भूमि दी गई थी उसे नया राज्य म0प्र0 के उपरांत एवं संहिता के लागू होने के उपरांत म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विविध याचिका कमांक 2064/2000 (टीकाराम एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य पेश की गई जिसे राज्य का बंटवारा होने के कारण एवं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने से उक्त याचिका का निराकरण माननीय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 3–5–2001 द्वारा किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमियों पर म0प्र0 शासन का नाम राजस्व अभिलेख से अलग कर याचिकाकर्ताओं का राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था । इसी प्रकार का आदेश माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने याचिका कमांक 2632/2000 (छबीलदास एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य) में दिनांक 30–10–2001 को पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि स्वत्व समाप्ति अधिनियम, 1950 की धारा 45 (3) के Enfora में आने के बाद प्रश्नाधीन भूमि से शासन का मालिकाना हक समाप्त हो गया है । इस वजय से राजस्व अधिकारियों को प्रश्नाधीन भूमि के मालिकाना हक (जो अपीलांट के पूर्वजों में निहित हो गया था) का परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रहा था । कारण कि अपीलांट के पूर्वजों का नाम 1909–10 से लगातार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि माफी की है न कि सेवा भूमि । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ रिस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासन की है । अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे उचित हैं । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अपीलार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण प्रश्नाधीन भूमि जो पूर्व में माफी खिदमती कोटवारी के रूप में दर्ज रही है पर भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के संबंध में है जो अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अपीलार्थिनी द्वारा यह कहा गया है कि उसके पूर्वज अंग्रेजी शासन के माफी खिदमती कोटवार थे जिस कारण प्रश्नाधीन भूमि उन्हें माफी खिदमती के रूप में दी गई थी । प्रश्नाधीन भूमि पर 1954–55 में अपीलार्थिनी के ससुर के नाम पर रही तथा ससुर की मृत्यु के उपरांत उसके पति का नाम और पति की मृत्यु के उपरांत उसका का नाम दर्ज किया गया । बाद में वर्ष 1991–92 में अवैधानिक तरीके से बिना उसे या उसके परिवार के सदस्यों को नोटिस दिए भूमि से अपीलार्थिनी का नाम काटकर म0प्र0 शासन का नाम दर्ज किया गया है, जो अवैधानिक है अतः आवेदन स्वीकार कर संबंधित दस्तावेजों में उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये । अपर कलेक्टर ने दिनांक 13–8–14 के आदेश द्वारा अपीलार्थिनी का आवेदन निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम

अपील अपर आयुक्त ने ग्राह्यता पर ही अग्राह्य की गई है । अपीलार्थिनी की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण का निराकरण अपीलार्थिनी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष पर करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर